फाइल नं0-71-1001(099)/188/2021

127/2023/I/387598/2023

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 14 सितम्बर, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के लेडी लायल महिला चिकित्सालय परिसर में विस्तारीकरण योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के लेडी लायल महिला चिकित्सालय परिसर में विस्तारीकरण योजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आकलित लागत रू0 450.9376 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-38-राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से प्रश्नगत कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 4,84,08,500/- (रू0 चार करोड़ चौरासी लाख आठ हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 , दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रदेश में रू0 50.00 करोड़ से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों का निर्माण ई0पी0सी0 मोड पर कराए जाने की व्यवस्था है। ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत परियोजना की स्वीकृति के पश्चात एंव कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से 18 माह में परियोजना को पूर्ण किया जाना निर्धारित है।
3. प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई0पी0सी0 मोड की समस्त प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रायोजना के निर्माण कार्य में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन0एम0सी0) के मानकों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु लेडी लायल हास्पिटल के पुराने भवन को तोड़कर नया नवनिर्माण कराया जाना है। अतः ध्वस्तीकरण के पश्चात् मलवे से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे टाईम ओवर रन एंव कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
7. प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियॉं एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गई है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रयोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
9. प्रायोजनान्तर्गत एच0वी0ए0सी0 (19 टीआर) (रू0 1481.31 लाख) सम्मिलित है।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।
11. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
12. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों का यथावत मानते हुए लागत का आकलन किया गया है , जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एंव अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
13. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
14. प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
15. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
17. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
18. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

19. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
20. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
21. बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
22. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
23. संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
24. कार्यदायी संस्था को, कार्य की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,84,08,500 (रुपये चार करोड़ चौरासी लाख आठ हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031053800 मेडिकल कालेज आगरा मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-3-155/दस-2023-24, दिनांक 13 सितम्बर, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन सेल), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
7. श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।